


07.02.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

सिद्दाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल सुभार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

  
07/02/25  
निदेशक वकील  
(S.D.O.) जाफर

